


AREA STATEMENT	
TOTAL PLOT AREA	= 7264.00 Sq.Mt.
PERMISSIBLE COVERAGE AT GROUND FLOOR 40%	= 2905.60 Sq.Mt.
PERMISSIBLE F.A.R 175%	= 12712.00 Sq.Mt.
PERMISSIBLE LANDSCAPE AREA 15%	= 1089.60 Sq.Mt.
UPPER BASEMENT AREA	= 3411.125 Sq.Mt.
LOWER BASEMENT AREA	= 3411.125 Sq.Mt.
FLOOR	PROPOSED
GROUND FLOOR	2512.117 Sq.Mt.
FIRST FLOOR	2220.310 Sq.Mt.
SECOND FLOOR	2000.15 Sq.Mt.
THIRD FLOOR	2282.325 Sq.Mt.
FOURTH FLOOR	1811.973 Sq.Mt.
FIFTH FLOOR WITH MUMTY	951.645 Sq.Mt.
FIFTH FLOOR WITHOUT MUMTY (FOR FAR)	857.161 Sq.Mt.
SIXTH FLOOR	857.161 Sq.Mt.
MUMTY	101.190 Sq.Mt.
GATE POST	18.000 Sq.Mt.
TOTAL COVD. AREA	3411.125 + 3411.125 + 2512.117 + 2220.310 + 2000.15 + 2282.325 + 1811.973 + 951.645 + 857.161 + 101.190 + 18.000 = 19577.121 Sq.Mt.
ACHIEVED COVD. AREA	2512.117 + 2220.310 + 2000.15 + 2282.325 + 1811.973 + 857.161 + 857.161 + 18.000 = 12558.197 Sq.Mt.
GROUND FLOOR COVD. AREA	2512.117 Sq.Mt. (34.58%)
OPEN AREA	4751.883 Sq.Mt.
ACHIEVED F. A. R	= 12558.197 SQ. MT. (172.89 %)
PARKING AREA DETAIL	
CAR PARKING REQUIRED	= 12558.197 x 3 / 100 = 376.77 + 377 NOS.
TOTAL CAR PARKING REQUIRED	= 377 NOS.
CAR PARKING IN GROUND FLOOR	= 75 NOS.
CAR PARKING ON UPPER BASEMENT	= 93 NOS.
CAR PARKING ON LOWER BASEMENT (MECHANIZED)	= 105 x 2 = 210 NOS.
TOTAL CAR PARKING PROVIDED	= 378 NOS.



30.00 M WIDE ROAD

SERVICE ROAD

45.00 M WIDE ROAD

SITE PLAN

- प्रतिबन्ध-**
- अनुमतिपत्र प्राप्त होने तक अतिक्रमण का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
 - भवन निर्माण में बेवकाल सेक्युरिटी कार्रवाई तथा सेक्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुरूपतः समस्त सुरक्षा प्रबंधों को सुनिश्चित करना होगा।
 - शासनादेश के क्रम में समस्त भूकम्परोधी प्रबंध, रेनवाटर हार्डवेयरिंग सिस्टम व वृक्षारोपण, लैंड स्कोपिंग का विकास आदि का प्रबंध सुनिश्चित करना होगा।
 - नेशनल फिनिशिंग कोड, के प्रावधानों के अनुरूपतः बांधागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना होगा।
 - विकलांग, दृष्टिबाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुरूपतः प्रबंध करना होगा।
 - जिलाधिकारी से खनन पर अनुमति प्राप्त करना होगा।
 - पार्किंग क्षेत्र में कोबल पार्किंग का प्रावधान करना होगा अन्य उपयोग करने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
 - बेसमेंट का निर्माण करते समय अमल-बगल की सम्पत्ति को सुरक्षा करनी होगी, किसी प्रकार की क्षति होने पर समस्त जिम्मेवारी आवेदक की होगी।
 - भवन में यदि कोई देवता निवास करती है तो सोने जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण को भवन में जमा करना होगा।
 - निर्माण पूर्ण करने के पश्चात प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है तदनुसार भवन के उपयोग आदि की अनुमति दी जायेगी।
 - प्रस्तावित भूमि/भवन के सम्बन्ध में यदि किसी भी प्रकार का सख्य प्रेषण जाने की पुष्टि होती है तो धारा-15(6) के अन्तर्गत स्वीकृत मानचित्र निरस्तकरण की कार्यवाही की जायेगी।

भवन मानचित्र उत्तर प्रदेश योजना आँरे विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस प्रावधान सहित स्वीकृत किया जाता है, कि विस्तृत प्राधिकरण भूमि विस्तार स्वामित्व के लिये विहित बाध्य नहीं है।



SL.No	DESCRIPTION	DATE
R1	REVISION AS PER LETTER DATED 24.07.2015	08.09.15

REVISION	
SITE PLAN	
SCALE	1:200
DRAWING NO.	01/20(R1)
DATE	08.09.2015
DRAWN BY: सिद्ध मेहता (ANJALI)	
CHECKED BY: Dr. S. C. C. LTD.	
OWNER'S SIGNATURE: NBCCL	
ARCHITECTS / CONSULTANT: M/s AGGARWAL DESIGNERS PVT. LTD.	